न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 256/2025

1. किशोर कुमार जांगिड पुत्र श्री बजरंगलाल जांगिड, जाति जांगिड, निवासी चारां का बास, तहसील नवलगढ।
2. अरूण चाहर पुत्र श्री रामनाथ चाहर, जाति जाट, निवासी चारां का बास, तहसील नवलगढ।
3. आकाश शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ।
4. सत्यप्रकाश टेलर पुत्र श्री अर्जुनलाल टेलर, जाति दर्जी, निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ।
5. चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील नवलगढ।
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ।

——रेस्पोडेन्ट्स

———

प्रथम विरूद्व आदेश दिनांक 24.02.2025 न्यायालय तहसीलदार, नवलगढ, मु0नं0 6/2024, अ0धा0 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

———

उपस्थित :—
1. श्री विजयपाल, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, नवलगढ के आदेश दिनांक 24.02.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान न्यायालय तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 24.02.2025 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमे धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम परसरामपुरा, पटवार हल्का परसरामपुरा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1350 रकबा 34.38 हैक्टर किस्म गै0मु0 नदी मे मे से 0.5800 हैक्टर (सीमेन्टेड सडक व डामर सडक) सरकारी भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियन्ता, नवलगढ को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त मुतनाजा आराजी से भौतिक रूप से बेदखल कर सरकारी भूमि का अतिक्रमण मुक्त किये जाने के आदेश दिये गये। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को आदेशित किया गया कि अप्रार्थी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियन्ता को सरकारी भूमि से बेदखल कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को इस आशय की तहरीर जारी हो। फर्द सीमाज्ञान दिनांक 24.02.2025 मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी। न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश कानूनी प्रावधानों व राज्य के हितों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण गलत रूप से राजस्थान राज्य के विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्व दर्ज किया गया जो पोषणीय नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजस्थान राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकारी है जिसके द्वारा अपने पदीय हैषियत से किया गया कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना मे तथा पदीय कर्तव्यों की पालना मे किया गया होता है। राज्य सरकार की भूमि पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक हितार्थ किया गया कार्य अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। प्रस्तुत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा लोक हितार्थ सडक निर्माण किये जाने को अनाधिकृत अमिक्रमण मानकर गंभीर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सा0नि0वि0 द्वारा राज्य सरकार के कोष से सार्वजनिक हितार्थ सडक निर्माण किये गये है। इस कार्य मे आम जनता का धन जो राजकोष मे जमा है का हिस्सा खर्च हुआ है। उक्त कार्य राज्य सरकार की अनुमति से तथा आदेशों व निर्देशों के तहत किये गये है। उक्त कार्य किसी अधिकारी या विभाग द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नही किये गये है बल्कि लोक हितार्थ किये गये है जो कतई अतिक्रमण नही हो सकते है। धारा 88 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार समस्त सडके और समस्त भूमियां जो दूसरे की सम्पत्ति नही है वे सरकारी सम्पत्ति है। राज्य सरकार की सम्पत्ति व सरकारी भूमि मे कोई अन्तर नही हो सकता है। राज्य सरकार की सम्पत्ति पर राज्य सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक हितार्थ विकास कार्य को अतिक्रमण मानकर, राज्य सरकार के विभाग को अतिक्रमी घोषित किया जाना व बेदखली के आदेश किये जाना घोर कानून विरूद्व है तथा अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 24.02.2025, मु0न0 6/2024, उनवानी सरकार बनाम सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0, नवलगढ को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण गलत रूप से राजस्थान राज्य के विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्व दर्ज किया गया जो पोषणीय नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजस्थान राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकारी है जिसके द्वारा अपने पदीय हैषियत से किया गया कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना मे तथा पदीय कर्तव्यों की पालना मे किया गया होता है। राज्य सरकार की भूमि पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक हितार्थ किया गया कार्य अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। प्रस्तुत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा लोक हितार्थ सडक निर्माण किये जाने को अनाधिकृत अमिक्रमण मानकर गंभीर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सा0नि0वि0 द्वारा राज्य सरकार के कोष से सार्वजनिक हितार्थ सडक निर्माण किये गये है। इस कार्य मे आम जनता का धन जो राजकोष मे जमा है का हिस्सा खर्च हुआ है। उक्त कार्य राज्य सरकार की अनुमति से तथा आदेशों व निर्देशों के तहत किये गये है। उक्त कार्य किसी अधिकारी या विभाग द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नही किये गये है बल्कि लोक हितार्थ किये गये है जो कतई अतिक्रमण नही हो सकते है। धारा 88 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार समस्त सडके और समस्त भूमियां जो दूसरे की सम्पत्ति नही है वे सरकारी सम्पत्ति है। राज्य सरकार की सम्पत्ति व सरकारी भूमि मे कोई अन्तर नही हो सकता है। राज्य सरकार की सम्पत्ति पर राज्य सरकार द्वारा किया गया सार्वजनिक हितार्थ विकास कार्य

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

को अतिक्रमण मानकर, राज्य सरकार के विभाग को अतिक्रमी घोषित किया जाना व बेदखली के आदेश किये जाना घोर कानून विरूद्व है तथा अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 24.02.2025, मु0न0 6/2024, उनवानी सरकार बनाम सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0, नवलगढ को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ग्राम परसारामपुरा स्थित भूमि ख0न0 1350 रकबा 34.38 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी में से 0.5800 हैक्टर (जिस पर सीमेन्टेड सड़क एवं डामर सड़क बनी हुई है।) मे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने गैर मुमकीन नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान वस्तु स्थिति की रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार ग्राम परसरामपुरा में खेल स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। (संलगन एनेक्जर–1) माननीय न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ के मुकदमा संख्या 06/2024 में वर्णित खसरा न. 1350 में सानिवि द्वारा निर्मित झाझड़ परसरामपुरा धोलाखेड़ा सड़क का भाग है। दिनांक 24.02.2025 की फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त सड़क के जिस भाग को अतिक्रमी बताया गया है वहां पर फ्लस कॉजवे (रपटा) का निर्माण किया गया है जो किसी प्रकार से नदी के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता है। IRC SP 20–2002 के एनेक्जर 7.1.2 (a) के अनुसार "A causeway is a small submersible structure with or without openings] which allows flood to pass over it- Depending on the type of construction and the road level above the bed of the watercourse] these structures can be classified under] flush] low level and high&level causeway" (संलग्न एनेक्जर–2). एवं IRC SP 82 2008 के एनेक्जर 3.2.2 (a) के अनुसार "In this type of causeway which is also called paved dip or road dam, the top level of road is kept same as that of bed level of the channel- It is suitable where the crossing remains dry for most of part of year i-e- the stream is not perennial- Flush causeways are not suitable for crossing the streams with steep bed slopes causing high velocity even in low floods- The causeway covers the full width of the channel" (संलग्न एनेक्जर–3). कॉजवे/फलस कॉजवे परिभाषित है। विभाग द्वारा निर्मित कॉजवे का लेवल नदी के बहाव के क्षेत्र के Bed Level के समान होने के कारण नदी के पानी के बहाव में अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करता है, अपितु एचएच–37 एवं एचएच–08 को जोड़कर यातायात को सुगम बनाता है। खसरा न. 2724 में सानिवि द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त दोनों खसरा न. 1350 एवं 2724 में फ्लस कॉजवे के अतिरिक्त वाद में वर्णित संरचनाओं का निर्माण सानिवि द्वारा नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि यातायात के सुगमता एवं आमजन को आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखकर इसे अतिक्रमण नहीं माना जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को ग्राम परसारामपुरा स्थित भूमि ख0न0 1350 रकबा 34.38 है0 किस्म गैर मुमकीन नदी में से 0.5800 हैक्टर (जिस पर सीमेन्टेड सड़क एवं डामर सड़क बनी हुई है।) भूमि पर अतिकमी माना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त निर्मित कॉजवे का लेवल नदी के बहाव के क्षेत्र के **Bed Level** के समान होने के कारण नदी के पानी के बहाव में अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करता है, अपितु एचएच–37 एवं एचएच–08 को जोड़कर यातायात को सुगम बनाता है। इस संबंध में अदालत मातहत ने कोई जांच नहीं की है, जो किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा संख्या 06/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि पीडब्लुडी द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट, निर्मित सड़क पानी के बहाव में व्यवधान है या नहीं, इसका परीक्षण करके एवं अन्य बिन्दुओं का विवेचन कर अपीलान्ट एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला **कलक्टर, झुंझुनूं**